<u>प्रेस नोट थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर दिनाक 14.08.2026</u>

गैर इरादतन हत्या का अपराध कारित करने के आरोप मे 01 नफर अभियुक्त व 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार

अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक बड़हलगंज के नेतृत्व में अतिरिक्त निरीक्षक विनय कुमार यादव द्वारा पुलिस टीम के साथ थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 325/2025 धारा 105 भारतीय न्याय संहिता से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. रामसमुझ निषाद पुत्र स्व0 सिरी निषाद 2. कुसुम देवी पत्नी रामसमुझ निषाद निवासीगण ग्राम बैरियाखास थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण –</u>

दिनांक 26/07/2026 कि रात्रि में वादिनी मुकदमा के पति को हक-हिस्से को लेकर अभियुक्तों द्वारा लाठी व लोहे के राड से मार मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 325/2026 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत किया गया। विवेचना व संकलित साक्ष्य से मुकदमा उपरोक्त को धारा 105 भारतीय न्याय संहिता में तरमीम किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

1. रामसमुझ निषाद पुत्र स्व0 सिरी निषाद निवासी ग्राम बैरियाखास थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
2. कुसुम देवी पत्नी रामसमुझ निषाद निवासिनी ग्राम बैरियाखास थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर

<u>गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-</u>

मु0अ0सं0 325/2026 धारा 105 भारतीय न्याय संहिता थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर

<u>गिरफ्तारी की टीम-</u>

1.अतिरिक्त निरीक्षक विनय कुमार यादव थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
2.रि0कां0 नितेश यादव थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
3.रि0म0का0 नेहा गुप्ता थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर